मन्दिर न्यास श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मन्दिर चामुंडा जी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.01.2022 से 31.12.2022

भाग – एक

1 **प्रारम्भिक :-**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग) (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या : भाषा (1) 3-3 /85 – पार्ट-II दिनाँक 17.01.1989 के दृष्टिगत मन्दिर न्यास श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर, चामुंडा जी जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01.01.2022 से 31.12.2022 तक का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित मंदिर अधिकारी द्वारा इस मंदिर के आहरण तथा संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया :-

क्रम संख्या	मन्दिर अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अपूर्व शर्मा	01-01-2022 से 12-10-2022
2.	श्री गिरी राज ठाकुर	13-10-2022 से 31-12-2022

(ख) मन्दिर न्यास श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मन्दिर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01.01.2022 से 31.12.2022 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गंभीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	दुकानों के लंबित किराया की वसूली के सन्दर्भ में	9	27.12
2	सफाई कार्य हेतु शुलभ इंटरनेशनल को वस्तु एवं सेवाकर(GST) के रूप में अनुचित रूप से अनियमित भुगतान	15	7.56
3	जिला न्यायाधीश धर्मशाला को केस संख्या 05/13 हेतु ब्याज का अनियमित भुगतान	16	**32.43**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

मन्दिर न्यास श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मन्दिर, चामुंडा जी के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष अनिर्णित पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्रवाई संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरांत शेष अनिर्णित पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **"परिशिष्ट- 1"** में दर्शाई गई है । वर्ष 1994 से 2021 तक मन्दिर न्यास श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मन्दिर से संबंधित अनिर्णीत शेष पैरों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	अंकेक्षण अवधि	कुल लंबित पैरों/ सब पैरों की संख्या	निर्णीत पैरों/ सब पैरों की संख्या	शेष अनिर्णीत पैरों/ सब पैरों की संख्या
1	04-1994 से 12-1998	11	0	11
2	01-2000 से 12-2000	5	0	5

3	01-2001 से 12-2001	2	0	2
4	01-2002 से 12-2002	7	0	7
5	01-2003 से 12-2004	10	0	10
6	01-2005 से 12-2005	3	0	3
7	01-2006 से 12-2007	1	0	1
8	निरीक्षण प्रतिवेदन अतिरिक्त निदेशक	3	0	3
9	01-2008 से 12-2009	8	0	8
10	01-2010 से 12-2010	1	0	1
11	01-2012 से 12-2012	2	0	2
12	01-2014 से 12-2016	7	1	6
13	01-2017 से 12-2018	11	5	6
14	01-2019 से 12-2020	25	16	9
15	01-2021 से 12-2021	18	14	4
	कुल पैरे	**114**	**36**	**78**

भाग -2

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

मन्दिर न्यास श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मन्दिर, चामुंडा जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 01/2022 से 12/2022 तक का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों मे दिए गए है, **श्री मुकेश कुमार स्नेही, सहायक नियंत्रक द्वारा दिनाँक 01-01-2024 से**

13-02-2024 तक मन्दिर न्यास के कार्यालय परिसर मे किया गया। अंकेक्षण के दौरान विस्तृत पड़ताल हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

क्रम संख्या	**वर्ष**	**आय की विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह**	**व्यय की विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह**
1	2022	06-2022	04-2022

अस्वीकरण :- यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन मन्दिर न्यास के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को प्रदत्त सूचनाओं एवं अंकेक्षण मे प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के कारण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

मन्दिर न्यास के लेखों अवधि 01.01.2022 से 31.12.2022 तक का अंकेक्षण शुल्क का आंकलन राशि ₹29,000.00 किया गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 37-A दिनांक :13-02-2024 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 **वितीय स्थिति:-**

(क) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण अवधि की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से रही, जिसका विस्तृत विवरण **"परिशिष्ट- 2"** में भी दिया गया है -:

वर्ष	अथ शेष (₹)	स्व-स्त्रोत से आय (₹)	अन्य आय (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022	28047320.82	51797820.81	832932.42	1718827.00	82396901.05	60552504.30	21844396.75

Closing Balance of Bank Account on 31.12.2022

क्रम संख्या	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	राशि (₹)
1	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चामुंडा	2353808591	4,09,561.79
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चामुंडा	2353807064	34,8,33.90
3	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, चामुंडा	20105004951	18,84,791.80
4	पंजाब नैशनल बैंक, डाढ़	983200010000014	12,40,602.69
5	भारतीय स्टेट बैंक, धर्मशाला	10551097090	6,24,431.32
6	एच डी एफ सी बैंक, धर्मशाला	6051450000049	29,521.25
10	FDR's on 31.12.2022 (**परिशिष्ट-3**)		1,76,36,498.00
	Total		**2,18,60,290.75**

बैंक समाधान विवरणी :-

क्रम सं	विवरण	राशि
1.	दिनांक 31.12.22 को रोकड़ बही अनुसार शेष	2,18,44,396.75
2.	+ NEFT pay to Home guard dt. 01.12.22 but not debited by bank till 31.12.22 but debited on 10.01.23	15,894.00
3.	Balance as per bank os on 31.12.22	2,18,60,240.75
	Difference 21860290.75 – 21860240.75	50.00

5 निवेश:-

मन्दिर न्यास द्वारा दिनाँक 31.12.2022 तक निम्न विवरणानुसार-राशि ₹1,76,36,498.00 का निवेश सावधि जमा के रूप में किया गया था जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट- 3"** में दिया गया है।

Sr No	Name of Bank	FDR No/ Account Number	Invested amount	Date of Investment	Maturity Value	Date of maturity	Rate of Interest
1	KCCB, Chamunda	50071435947	12958268.00	31.03.2022	13631887.00	31.03.2023	5.20%
2	-do-	50075182934	347080.00	14.11.2022	366567.00	12.11.2023	5.50 %
3	PNB Dadh	983200010000249	1967291.00	04.07.2022	2073648.00	04.07.2023	5.30%
4	CBI Chamunda	3808974395	1463484.00	19.04.2022	1538042.00	19.04.2023	5.00%
5	KCCB, Chamunda	50075183664	900375.00	14.11.2022	950926.00	12.11.2023	5.50%
		Total	**17636498.00**				

6. सोना :-

(क) मंदिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यास के सोने की वितीय स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट -4"** पर दिया गया है।

(ख) पत्र संख्या LCD-F(12)1/2006-1, Department of Language, Art & Culture, Government of Himachal Pradesh के अनुसार HP Hindu Public Religious Charitable Endowment Act, 1984 की Section 12-A के अनुसार सोने का 50 प्रतिशत

भाग बिस्किट में तथा चांदी का 60 प्रतिशत भाग सिक्कों में तब्दील करके बाजारी मूल्य पर माता के भक्तजनों को बिक्री किया जा सकता है। सोना व चाँदी के भण्डार रजिस्टरों के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31-12-2022 को कुल 19 किलोग्राम 299 ग्राम व 498 मिलीग्राम सोना तथा 19 किलोग्राम 946 ग्राम व 500 मिलीग्राम चांदी मंदिर न्यास के भंडार में उपलब्ध थी लेकिन उक्त सोना व चांदी को बिस्किट व सिक्कों में तब्दील नहीं किया गया जिस कारण मंदिर न्यास को बिस्किट व सिक्कों की बिक्री से होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा एवं उक्त सामग्री की देख रेख पर भी व्यय करना पड़ रहा है। अतः नियमानुसार सोना व चाँदी को बिस्किट व सिक्कों में तब्दील न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वांछित कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

7 चांदी:-

(क) मंदिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यास के चाँदी की वितीय स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के "**परिशिष्ट –"5"** पर दिया गया है।

(ख) चाँदी से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि वर्ष 2005 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (क) व (ख) में चांदी की 142 किलोग्राम 501 ग्राम तथा 842 मिलीग्राम मात्रा का अंतर दर्शाया गया था लेकिन 17 वर्ष पश्चात तक भी उक्त अन्तर बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त वर्णित अंतर बारे मंदिर न्यास स्तर पर विस्तृत जांच की जाए तथा चांदी की इस मात्रा का अगर दुरुपयोग किया गया है तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाई करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 गत तीन वर्षों में प्राप्त आय एवं आय की अनुपातिका के अनुसार कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य मद पर किए गए व्यय के सन्दर्भ में:-

श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मन्दिर न्यास द्वारा गत तीन वर्षों में निम्न विवरणानुसार आय अर्जित की गई।

क्रम संख्या	वर्ष	आय
1	2020	1,32,01,336.00
2	2021	2,93,87,179.39
3	2022	5,43,49,580.00

अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा **"परिशिष्ट-6"** पर दर्शाये गए विवरणानुसार कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य मदों पर आय की तुलना में लगभग 60% से 150% तक प्रतिवर्ष व्यय किया गया था।

क्रम संख्या	वर्ष	आय (ब्याज सहित) (₹)	कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य संबन्धित मदों पर भुगतान राशि (₹)	प्रतिशतता
1	2020	1,75,88,204.04	2,64,71,754.00	150.00
2	2021	3,13,16,024.39	2,58,38,300.00	82.51
3	2022	5,43,49,580.00	3,27,25,801.00	60.21

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि गत वर्षों में मंदिर न्यास की आय व्यय की तुलना में कम होती जा रही है जोकि चिन्ता का विषय है। अतः भविष्य के संदर्भ में सुझाव दिया जाता है कि

मन्दिर की आय को बढाने के साथ साथ मन्दिर न्यास द्वारा किये जा रहे व्यय में कमी करने हेतु गम्भीरता से प्रयास किये जाने अपेक्षित है।

9 दुकानों के लंबित किराया राशि ₹27.12 लाख की वसूली के संदर्भ में:-

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जांच में पाया गया कि श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर न्यास द्वारा **"परिशिष्ट-7"** में दिए गए विवरणानुसार दुकानदारों को मंदिर न्यास के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें किराये पर आबंटित की गई थीं किन्तु इन किरायेदारों द्वारा मंदिर न्यास को निर्धारित किराये की अदायगी नहीं की जा रही है एवं न ही न्यास द्वारा इस किराये की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाई अमल में लाई जा रही है जिस कारण दिनांक 31-12-2022 तक इन दुकानदारों से ₹27,12,356.00 किराये की वसूली लंबित थी। अतः इन दुकानदारों से लंबित इस किराये की राशि की वसूली शीघ्र करने हेतु ठोस पग उठाए जाएं तथा कृत कार्यवाई से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 मंदिर न्यास के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आबंटित दुकानों के अनुबंध पत्र तैयार न करने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021 में ₹ 0.50 लाख की हानि:-

अंकेक्षण में पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री चामुंडा नदिकेश्वर मन्दिर द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में निर्मित 40 दुकानों का आबंटन दिनाँक 01-12-2013 को किया गया था लेकिन कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक को आबंटित भवन की तरह इन अन्य दुकानों के अनुबंध पत्र तैयार नहीं किए गए थे, जिसके अभाव में आबंटन की अवधि से पाँच वर्ष उपरांत यानि दिनाँक 01-12-2018 को इन दुकानों के किराये में 10% वृद्धि नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्तियाँ उठाई गईं थीं किन्तु मंदिर न्यास द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्यवाई नहीं की गई है। जिसके कारण वर्ष 2022 के 12 माह में ही 10 प्रतिशत कम राशि के रूप में मंदिर न्यास को ₹49500.00 (₹4125.00x12) की हानि हुई।

अतः परामर्श दिया जाता है कि दुकानदारों से शीघ्र अनुबंध पत्र तैयार करने उपरांत किराये की राशि में बढ़ौतरी करके बकाया किराये की राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाएँ ।

12 मन्दिर न्यास द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों अर्थात सहायक आयुक्त एवं मन्दिर अधिकारी को मानदेय के रूप में ₹0.50 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 3(2) के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मन्दिर न्यास के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन के लिए अंकेक्षण अवधि जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक उप मण्डल अधिकारी (ना) को सहायक आयुक्त मंदिर एवं तहसीलदार को मंदिर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था । अंकेक्षण में पाया गया कि न्यास द्वारा सहायक आयुक्त मन्दिर को प्रति माह ₹2000.00 मानदेय व मन्दिर अधिकारी को प्रति माह ₹2000.00 मानदेय तथा ₹400.00 प्रति माह टेलीफोन भत्ते के रूप में दिए गए थे । जबकि उप सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या :एल०सी०डी० वी (2)9/94 -1 दिनांक 21-12-2010 के अनुसार यह राशि व सहायक आयुक्त व तहसीलदार को भुगतान योग्य नहीं थी। अतः निम्न विवरणानुसार माह जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक अनियमित भुगतान राशि ₹50,400.00 बारे में उक्त पत्र के दृष्टिगत वास्तुस्थिति से अवगत कराया जाए अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली संबंधित से करने उपरांत कृत कार्यवाही से अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

माह	सहायक आयुक्त मंदिर (₹)	तहसीलदार (₹)	कुल राशि (₹)	वाउचर संख्या	रोकड़ बही पेज नंबर
01/2021	2000.00	2400.00	4400.00	7,8	1
02/2021	2000.00	2400.00	4400.00	5,6	10

03/2021	2000.00	2400.00	4400.00	2,3	20
04/2021	2000.00	2400.00	4400.00	6,7	31
05/2021	2000.00	2400.00	4400.00	6,7	44
06/2021	2000.00	2400.00	4400.00	20,21	57
07/2021	2000.00	2400.00	4400.00	23,24	70
08/2021	2000.00	2400.00	4400.00	2,3	80
09/2021	2000.00	2400.00	4400.00	7,8	93
10/2021	2000.00	2400.00	4400.00	9,10	106
11/2021	2000.00	------	2000.00	8	120
12/2021	2000.00	2400.00	4400.00	66,67	141
योग	**24,000.00**	**26,400.00**	**50400.00**		

13 रसीद बुक न प्रस्तुत करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 09.06.22 को रोकड़ बही में पृष्ठ संख्या 58 पर रसीद संख्या 5/651-62 द्वारा ₹9902/- जमा दर्शाये गए है जबकि अंकेक्षण में संबंधित रसीद बुक प्रस्तुत नहीं कि गई जिसके अभाव में वसूली राशि कि सत्यता कि पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं कि जा सकी। उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:18 दिनांक 06-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या: चा०न०म०-1/2024-ऑडिट-179 दिनांक 06.03.24 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमानी चामुंडा मन्दिर बंद होने के कारण उक्त रसीद को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सका आगामी अंकेक्षण पर उक्त रसीद को प्रस्तुत कर दिया जाएगा अत: उक्त रसीद बुक को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 रसीदों द्वारा वसूली ₹.03 लाख की आय को कम जमा करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित रूप से वसूल कि गई राशि में से ₹2650 को कम जमा किए गए जो कि आपत्ति जनक था :-

रसीद सं	दिनांक	वसूली बनती थी	जमा राशि	कम जमा (₹)
334/ 10439	06/22	5000	2500	2500
346/ 11015	03.06.22	880	730	150
			कुल कम जमा	**2650**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:30 दिनांक 08-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया व मन्दिर अधिकारी द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए संबंधित से रसीद संख्या 150/7471, 7472 दिनांक 09-02-24 द्वारा वसूल कर मन्दिर निधि में जमा कर दिए गए जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा भी कर ली गई है अत: अनुपालना हेतु भविष्य में इस प्रकार कि त्रुटि न दोहराई जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सफाई कार्य हेतु शुलभ इंटरनेशनल को वस्तु एवं सेवाकर(GST) के रूप में अनुचित रूप से ₹7.56 लाख का अनियमित भुगतान

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या: 12/2017 –केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.17 के अंतर्गत 9994 SAC code chapter 99 में सफाई का कार्य पर वस्तु एवं सेवाकर की छुट प्राप्त है अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मै. शूलभ इंटरनेशनल शौचालय द्वारा प्रस्तुत बिलों पर उक्त SAC कोड दर्शाया गया है व **परिशिष्ट-"8"** अनुसार उक्त फर्म को मंदिर न्यास द्वारा सफाई के कार्य हेतु 01.10.18 से

31.12.22 तक कुल ₹4200000/- का भुगतान किया जिस पर 18 % कि दर से ₹756000/- GST का भी अलग से भुगतान किया है जोकि अनियमित है।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:17 दिनांक 06-03-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या: 173 दिनांक 06.03.24 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि माह अप्रैल 2023 से उक्त भुगतान को करना बंद कर दिया है व इससे पूर्व के बिलों में किए गए भुगतान की वसूली पत्राचार करके सुनिश्चित की जा रही है। अत: अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16. जिला न्यायाधीश धर्मशाला को केस संख्या 05/13 ओंकार चंद vs स्टेट के सम्बन्ध में किए गए ₹49.14 लाख भुगतान में सम्मिलित ₹32.43 लाख ब्याज का अनियमित भुगतान बारे

वाउचर संख्या 91 दिनांक 24.04.2022 कि जांच करने पर पाया गया कि ₹4913915/- का भुगतान जिला न्यायधीश धर्मशाला को चेक संख्या: 028007 दिनांक 25.04.22 द्वारा किया गया है व इस कार्यालय कि अधियाचना संख्या: 11 दिनांक 18.01.24 द्वारा उक्त कोर्ट केस व पारित आदेश के अभिलेख की मांग अंकेक्षण द्वारा की गई थी परन्तु उक्त कोर्ट केस के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाया गया उक्त कोर्ट केस के संदर्भ में भू-मुआवजा भुगतान ₹4913915/- में केवल ₹1671399 का भुगतान करना अपेक्षित था जबकि निम्नविवरणा अनुसार क्रम संख्या 7,8 में वर्णित ₹3242516/- ब्याज के रूप में भुगतान किया गया यदपि मुख्य आयुक्त मन्दिर एवं सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग)हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: एल०सी०डी०-एफ(1)-10/ 2011 दिनांक 02.04.2022 द्वारा उक्त ₹4913945/- के भुगतान बारे प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कि गई थी परन्तु कोर्ट केस के अभिलेख कि

अनुपस्थिति में इस बात कि सत्यता कि पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी कि उक्त ब्याज ₹3242516/- का भुगतान करना बनता था या नहीं । इसके अतिरिक्त इस कोर्ट केस के विरुद्ध मन्दिर प्रशासन उच्च न्यायलय में अपील क्यूँ नहीं कि गई से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अतः उक्त भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए।

क्रम सं	विवरण	भुगतान राशि
1.	Cost of land measuring 0-24-00 Hects.@750 per sqm.	18,00,000-00
2.	Less cost of land already paid	7,52,686-00
3.	Balance amount	10,47,314-00
4.	12% per annum under section 23 {(IA)} from the date of publication of the notification under section 4(i.e.22-12-2005) to the date of award of the Collector (i.e. 10-06-2008) or the date of taking possession of the land whichever is earlier (i.e., for a period of 2 years and 170 days @ 1,25,678.00 per annum)	3,09,891-00
5.	30% solatium under section 23(2)	3,14,194-00
6.	**Total enhanced amount (Total of Sr. No. 3,4 and 5)**	**16,71,399-00**
7.	Interest @ 9% per annum for one year from the date of taking possession of the land (i.e. 10-06-2008) under section 28	1,50,426-00
8.	Interest @ 15% per annum from 10-06-	30,92,090-00

	2009 {(i.e., one year after from the date of taking possession of the land (i.e. 10-06-2008)} till the date of deposite of enhanced amount (assuming the date of deposite being 09-10-2021 (i.e., 12 years and 4 months @ 2,50,710-00 per annum)	
9.	**Total enhanced amount due upto 09-10-2021**	**49,13,915-00**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:16 दिनांक 05-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या:चा०न०म०-1/2024-ऑडिट-175दिनांक 06.03.24 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कोर्ट केस के आदेशों से संबंधित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जो कि आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: उक्त कोर्ट केस के आदेशों से संबंधित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से अनियमित रूप से भुगतान किए गए ब्याज की राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व कि गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

17 बिजली के बिल के रूप में अनियमित रूप से जुर्माना राशि ₹9950/- का भुगतान करना।

वाउचर संख्या 93 दिनांक 24.04.22 कि जांच करने पर पाया गया कि ₹43207/- का भुगतान सहायक अभियंता बिजली बोर्ड को भुगतान किए गए जिसमें निम्नलिखित दो मिटरों में जुर्माना राशि ₹9950/- का भुगतान किया गया है जो कि अनियमित था :-

मीटर सं	मीटर का स्थान	पुरानीरीडिंग	नई रीडिंग	वर्तमान बिल	जुर्माना राशि	कुल भुगतान
1222514926	लंगर भवन	112134	113093	5091.40	6868.91	11960.31
59640063	हाईमास्क लाइट बडोई	25275	26954	9534.00	3081.00	12615.00
				कुल जोड़	**9949.91** **9950.00**	**24575.31**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:23 दिनांक 06-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया परन्तु कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अत: अनियमित रूप से जुर्माना राशि का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से ₹9950/- की वसूली करके मन्दिर निधि में जमा किया जाए भविष्य में इस प्रकार के भुगतान न करना भी सुनिश्चित किया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।

18. निर्माण कार्यों सम्बन्धित टेंडर की न्यायोचित दर (justification) न तैयार करने बारे

CPWD वर्क्स मैन्युअल 2019 चैप्टर 5.1.6 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य से सम्बन्धित टेंडर की न्यायोचित दर (justification) तैयार करना अनिवार्य है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि 2022 में विज्ञापित निर्माण कार्यों की न्यायोचित दर (justification) निर्माण शाखा द्वारा तैयार नहीं की गई थी जिसके आभाव में टेंडर अवार्ड के न्ययोचितता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:26 दिनांक 08-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया परन्तु कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अत: टेंडर की

justification न तैयार करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैंडरों को दो अख़बारों के स्थान पर एक अख़बार में प्रकाशित करना

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 102(1) के अनुसार टैंडर को दो दैनिक अग्रणी अख़बारों (leading news papers)में प्रकाशित करना अपेक्षित था जबकि अंकेक्षण में पाया गया कि 2022 में विज्ञापित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेंडरों को केवल एक स्थानीय अख़बारों में प्रकशित करवाया गया है जिससे स्पष्ट है कि टैंडर का व्यापक प्रचार नहीं किया गया जोकि अनियमित था जिसे न्यायोचित ठहराया जाए।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:27 दिनांक 08-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया परन्तु कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अत: दो के स्थान पर एक अख़बार में टेंडर प्रकाशित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 सर्विदाकार को अनुचित रूप से ₹.21 लाख का अधिक भुगतान व निर्माण कार्य में 21.38% का विचलन

Name of work	P/F OF Almunium cabin for marriage & langar bhawan
Name of contractor	Sh. Suresh kumar
Award no.	766-67 dtl 16.05.22
Awared amt.	198082/- (15.83%of HPFR 2009)

R/Bill	1st & final (240380)
Vr. No.	84 of 06/22

उक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) माप पुस्तिका 57 पृष्ठ 58 पर मद संख्या 2 "P/F Bakalite sheet for portion" का 37.40sqm का कुल निष्पादन किया गया व ₹1400/- sqm की दर से ₹52360/- का भुगतान किया गया यह मद shedule की नहीं थी व मंदिर अभियंता द्वारा इस मद का बाजारी मूल्य ₹850 निर्धारित किया गया व इस मद का भुगतान 37.40sqm x ₹850 कि दर से ₹31790 करना अपेक्षित था इस प्रकार ₹52360-31790=₹20570 का अधिक भुगतान किया गया था जो कि अनुचित था।

(ख) उक्त कार्य को 198082/- का अवॉर्ड किया गया इस कार्य का सर्विदाकार को कुल 240380का भुगतान किया गया इस प्रकार सविदाकार को 42348/- का भुगतान किया गया इस प्रकार उक्त कार्य में बिना अनुमोदन के 21.38 % का विचलन(Deviation) पाया गया जो कि अनियमित था।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:24 दिनांक 08-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया परन्तु कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।अत: उक्त किए गए अधिक भुगतान ₹20570 की राशि की वसूली उचित स्रोत से करना व ₹42348/- के विचलन की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेने उपरांत नियमित करवाया जाए व कि गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।

21 सर्विदाकार को अनुचित रूप से ₹18704/- का अधिक भुगतान व 98.99% का विचलन।

Name of work	P/F OF Almunium rack in first floor in langar bhawan
Name of contractor	Sh. Suresh kumar
Award no.	938 -39 dt। 19.05.22
Awared amt.	79168 /- 44.45%of HPFR 2009)
R/Bill	1st & final (157542)
Vr. No.	86 of 06/22

उक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) माप पुस्तिका 58 पृष्ठ 61 पर मद संख्या 2 "P/F Grazzing in almunium door, window,etc" का 139.46kg का कुल निष्पादन किया गया व ₹680/- kg की दर से ₹94832.80/- का भुगतान किया गया उक्त पैरा संख्या 20 के निर्माण कार्य के अवॉर्ड संख्या 766 -67दिनांक 16.05.22 द्वारा उक्त सर्विदाकार को ही इस मद हेतु ₹650kg का भुगतान किया गया था जबकि कार्य अवार्ड में केवल 3 दिन का अन्तर था उक्त मद का भुगतान 139.46kg x ₹650kg की दर से ₹90649 करना अपेक्षित था इस प्रकार ₹94832.80 - ₹90649 =₹4183.80 का अधिक भुगतान किया गया था जो कि अनुचित था।

(ख) माप पुस्तिका 58 पृष्ठ 61 पर मद संख्या 2 "P/F Bakalite sheet for portion" का 21.60sqm का कुल निष्पादन किया गया व ₹1500sqm की दर से ₹32400/- का भुगतान

किया गया यह मद sehdule की नहीं थी व मंदिर अभियंता द्वारा इस मद का बाजारी मूल्य ₹850sqm निर्धारित किया गया व इस मद का भुगतान 21.60sqm x ₹850 की दर से ₹18360 करना अपेक्षित था इस प्रकार ₹32400-₹18360=₹14040 का अधिक भुगतान किया गया था जो कि अनुचित था।

(ग) माप पुस्तिका 58 पृष्ठ 61 पर अतिरिक्त मद संख्या 5 "P/F Aluminium tower bolt 150mm " 32 का कुल निष्पादन किया गया व 80 की दर से ₹2560/- का भुगतान किया गया इस मद sehdule code संख्या:1210504000 में दर 45.20 +44.45%=₹65 की दर से कुलभुगतान 32 x 65=₹2080 करना अपेक्षित था इस प्रकार ₹2560 -2080 =480 का अधिक भुगतान किया गया था जो कि अनुचित था।

(घ) उक्त कार्य सविंदाकार को ₹79168/- का अवॉर्ड किया गया इस कार्य का सर्विदाकार को कुल ₹157542 का भुगतान किया गया इस प्रकार सविदाकार को ₹78374/- का भुगतान किया गया इस प्रकार उक्त कार्य में 98.99 % का बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के विचलन(Deviation) पाया गया गया । जो की अनुचित था।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:25 दिनांक 08-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया परन्तु कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।अत: उक्त किए गए अधिक भुगतान ₹18704 की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना व ₹78374/- के विचलन की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेने उपरांत नियमित करवाया जाए व कि गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।

22 मुरम्मत कार्य में लेबर चार्जेस के रूप में ₹0.02 लाख का अनुचित भुगतान

Name of work	Repair of mortar hand pump 2 HP and starter new parking
Name of contractor	Sh. Suresh kumar
Award no.	450-51 dtl 08.03.22 (8500)
Paid amt.	8000/-
R/Bill	1st & final (8000)
Vr. No.	84 of 03/22

उक्त कार्य कि जांच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका 59 पृष्ठ 91 पर सर्विदाकार को निम्नलिखित रूप से भुगतान किया गया :-

(क)repair of mortar hand pump 2 HP= 3500

(ख) Labour charges = 2000

(ग) P/F new starter = 2500

8000

जबकि उक्त कार्य में मुरम्मत के रूप में ₹3500 का भुगतान किया गया तो लेवर charges के रूप में ₹2000 के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:29 दिनांक 08-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया परन्तु कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।अत: उक्त बारे तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से ₹2000 कि वसूली कर मन्दिर निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

23 निर्माण कार्य बिलों में ₹0.17 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना

हमारे प्राकृतिक संसाधनों व सीमित मात्रा में उपलब्ध खनिजों के संरक्षण एवं दोहन हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर नियम तथा निर्देश जारी किये गये हैं। इसी कारण इनके अवैध खनन तथा प्रयोग के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान भी है। किसी भी निर्माण कार्य में प्रयोग किये जा रहे क्षुद्र खनिजों जैसे रेत, बजरी, पत्थर, मिट्टी, ईंट इत्यादि का उत्खनन किसी वैध स्त्रोत से किया गया है अथवा नहीं इसके प्रमाण के रूप में वैध खदान/क्रशर लाईसैंस धारक द्वारा ***हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) {Himachal Pradesh Department of Industries – Geoligical Wing} द्वारा जारी Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 के नियम 77 व 79 के अनुसार फॉर्म "डबल्यू" (ट्रान्जिट पास) तथा फॉर्म "ऐक्स" (सप्लीमैन्ट्री ट्रान्जिट पास) {Form "W" (Transit Pass) and Form "X" (Supplementary Transit Pass)}*** जारी किये जाते हैं।

सरकारी राजस्व के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीके से किये गये वैध खनन के लिये रॉयल्टी वसूल की जाती है जिसकी दरें उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में प्रतिपादित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त क्षुद्र खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिये वर्णित नियमों के अध्याय 7– PREVENTION OF ILLEGAL MINING, STORAGE AND TRANSPORTATION OF MINERALS &के नियम 71 व 72 में दण्ड का प्रावधान भी किया गया है।

यदि यह क्षुद्र खनिज सरकार द्वारा अनुमोदित खदान अथवा क्रशर से खरीदे गये हैं तो इनके लिये देय रॉयल्टी सरकार को जमा करवाने का दायित्व प्रयोगकर्ता के स्थान पर खदान अथवा क्रशर के लाईसैंसधारक का होता है जिसके लिये फॉर्म–डब्ल्यू व ऐक्स जारी किये जाते हैं। यदि उपयोगकर्ता के पास उक्त फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि प्रयोग किये जा रहे क्षुद्र खनिज अवैध स्त्रोत से प्राप्त किये गये हैं।

परन्तु वर्तमान अंकेक्षण में पाया गया है कि द्वारा अंकेक्षणावधि में निष्पादित निर्माण कार्यों में प्रयोग किये गये क्षुद्र खनिजों को वैध स्त्रोत से उत्खनन किये जाने के प्रमाण के रूप में बिलों के साथ न तो ***फॉर्म***

"डबल्यू" तथा फॉर्म "ऐक्स"– संलग्न किये गये हैं और न ही नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की गई है जिसे न्यायोचित ठहराया जाए तथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 28 दिनांकः 08.02.2024 द्वारा मन्दिर के अधिकारी को सूचित किया गया परन्तु मन्दिर प्रशासन द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया । अतः यह मामला उच्चाधिकारियों तथा कार्यकारी अधिकारी की जानकारी में विशेषतया लाया जाता है ताकि इस बारे ***हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा)*** के अधिकारियों के साथ चर्चा उपरान्त इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाई जाये अन्यथा निम्नविवरणानुसार ₹17238/– की रॉयल्टी राशि की वसूली करके उद्योग विभाग को जमा करवाना तथा भविष्य हेतु कार्यप्रणाली में सुधार करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Name of work	**Sand**	**Aggregate**
C/O Shop at 1 st floor and police control room and basement room	12.80cum	5.54cum
Restoration /construction of Aadi himani chamunda	114.92cum	47.37cum
Total	**127.72cum**	**52.91cum**
Metric tonne factor	X 1.62	X 1.52
Grand total	206.90 mt =	80.40 mt =287.30 x **60=17238**

24. कुटेशन व अन्य औपचारिकताएं व आयकर की कटौती न करना ।

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000 से अधिक कि खरीद कुटेशन के आधार पर किया जाना अपेक्षित है वाउचर संख्या 32 दिनांक 13-04-22 की जांच करने पर पाया गया कि ₹147122/- (₹124680+18%जीएसटी)का भुगतान मै० विबोर विडिओ विज़न प्राइवेट लि. को उनके बिल संख्या:vvv/ 46/2021 दिनांक 16-03-21 के लिए भुगतान किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में औपचारिक्ताओं कुटेशन या टेन्डर इत्यादि से

अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया इसके अतिरिक्त इस भुगतान से आयकर अधिनियम कि धारा 194 C के अनुसार स्त्रोत पर 2% कि दर से ₹2494/- आयकर की कटौती की जानी अपेक्षित थी जो की नहीं की गई।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:21 दिनांक 06-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या:चा०न०म०-1/2024-ऑडिट-176दिनांक 06.03.24 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यवाही सहायक नियंत्रक वित्त एवं लेखा कार्यालय धर्मशाला से की गई है व कार्यालय में उक्त भुगतान से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: उक्त भुगतान बारे शीघ्र औचित्य स्पष्ट किया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

25 स्टॉक में कम शेष दर्शाना

वाउचर संख्या 53 दिनांक 18.04.22 कि जांच करने पर पाया गया कि 3000 का भुगतान बिल संख्या 18 दिनांक 04.03.22 के लिए 5 चामुंडा माता कि फोटो 16"x20" की खरीद कि गई जबकि स्टॉक पृष्ठ 64 पर पहले 2 शेष थी कुल 7 फोटो का जोड़ हुआ व 4 जारी कि गई इसप्रकार 3 शेष होनी अपेक्षित थी जबकि 2 दर्शाई गई इस प्रकार एक कम दर्शाई गई जो की अनुचित था।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:20 दिनांक 06-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या:चा०न०म०-1/2024-ऑडिट-171-72 दिनांक 06.03.24 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि संबंधित कर्मचारी को सूचित कर दिया गया है कार्यवाही आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत कर दी जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है उक्त बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹600 कि वसूली उचित

स्त्रोत से वसूल कर मन्दिर निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

26 डाक टिकट के रूप में ₹0.01 लाख के अनुचित व्यय बारे।

वाउचर संख्या 29 दिनांक 02.04.22 के अंकेक्षण में पाया गया कि ₹5000 डाक टिकट कि खरीद कि गई व उन्हे स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 75 दिनांक 02.04.22 को दर्ज किया गया उक्त डाक टिकट के व्यय कि जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणा अनुसार माह 04/22 में डाक टिकट खर्च की गई :-

	दिनांक 01.04.22 को आ. शेष	1460.00
	प्राप्त डाक टिकट (पृष्ठ 75 दिनांक 02.04.22)	5000.00
	कुल जोड़	**6460.00**
क्रम संख्या	व्यय विवरण	
1.	चैत्र मेले पर व्यय	2500.00
2.	डिसपेच रजिस्टर पृष्ठ 1-44 में व्यय	1040.00
3.	दिनांक 04.06.22 को संस्कृत महाविद्यालय को जारी डाक टिकट	1800.00
4.	**कुल व्यय**	**5340.00**
5.	**अंत शेष**	**1120.00**

दिनांक 04.06.22 को संस्कृत महाविद्यालय को ₹1800/- की जारी डाक टिकट जारी किए दर्शाये गए है जबकि महाविद्यालय द्वारा न ही इसकी मांग कि गई है व न ही उनको प्राप्त हुई है जिस कारण व्यय कि सत्यता कि पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जो की अनुचित था।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:19 दिनांक 06-02-2024 द्वारा मन्दिर अधिकारी को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या:चा०न०म०-1/2024-ऑडिट-169-70 दिनांक 06.03.24 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि संबंधित कर्मचारी को सूचित कर दिया गया है कार्यवाही आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत कर दी जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है उक्त बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹1800 कि वसूली उचित स्त्रोत से वसूल कर मन्दिर निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

27 अभिलेख प्रस्तुत न करने के संदर्भ में:-

मंदिर न्यास के अवधि 01-2022 से 12-2022 के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए:

1 Contractor Ledger

2 MAS Register

3 Property Register

मौखिक रूप से अंकेक्षण को यह बताया गया कि इन अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01-2017 से 12-2018 में भिन पैरा संख्या 18 द्वारा इन के रख-रखाव हेतु आग्रह किया गया था, किन्तु मंदिर न्यास प्रशासन द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाई न करना उनकी उदासीनता को परिलक्षित करता है। जबकि इनका रख-रखाव नियमानुसार किया जाना अपेक्षित था ताकि किए जाने वाले भुगतान एवं मंदिर न्यास की संपत्ति आदि का पूर्ण विवरण प्राप्त हो सके तथा इन अभिलेख के अभाव में प्रतिभूति (सिक्युरिटी) का दूसरी बार पुनः भुगतान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः इन अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाई से अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

28 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :-

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास, श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मन्दिर, चामुंडा जी के भण्डार में शेष उपलब्ध सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 140 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना आपेक्षित था। इस संबंध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 20 एवं उस से पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी यह मामला उठाया गया था किन्तु मंदिर न्यास द्वारा इस पर कोई भी कार्यावाई नहीं की गई , जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए शीघ्र वांछित कार्यवाई अमल में लाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

29 लघु- आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर निपटारा कर दिया गया व यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

30 निष्कर्ष:- लेखाओं के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

2357 – 2361 का0 /50 06 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)198/99 खण्ड–6 दिनांकःशिमला–09
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2.
2 उपायुक्त कांगड़ा एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेवश्र, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
3 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला–04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।
4 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09.

पंजीकृत 5 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

06 JUN 2024

का0 /50

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट "क"   संदर्भित : पैरा 1 (घ)

मन्दिर न्यास, श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मन्दिर, जिला कांगड़ा के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 12/1998

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 5 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा – 5 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा – 6 (ख)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा – 6 (ख) (3)	अनिर्णीत
5	पैरा – 25 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा – 25 (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा – 25 (घ)	अनिर्णीत
8	पैरा – 25 (ङ)	अनिर्णीत
9	पैरा – 25 (च)	अनिर्णीत
10	पैरा – 29 (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा – 45	अनिर्णीत

(ख)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2000 से 12/2000

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 7 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा – 7 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा – 8 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा – 8 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा – 13 (2)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2001 से 12/2001

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 6 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा – 17 (ख)(2)	अंशतः निर्णीत

(घ)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2002 से 12/2002

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 5 (क)(1 से 5)	अनिर्णीत
2	पैरा – 5 (क)(6)(ए.बी.सी.डी.)	अनिर्णीत
3	पैरा– 5 (क)(7 से 8)	अनिर्णीत

4	पैरा – 11 (क)(1)	अनिर्णीत
5	पैरा – 11 (क)(2)	अनिर्णीत
6	पैरा – 11 (क)(3)	अनिर्णीत
7	पैरा – 11 (क)(4)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2003 से 12/2004

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 5 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा – 5 (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा – 5 (ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा – 6	अनिर्णीत
5	पैरा – 7	अनिर्णीत
6	पैरा – 12 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा – 12 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा – 15	अनिर्णीत
9	पैरा – 33 (1)	अनिर्णीत
10	पैरा – 33 (2)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2005 से 12/2005

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 7 (क)	अनिर्णीत

2	पैरा – 13	अनिर्णीत
3	पैरा – 16	अनिर्णीत

(छ)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2006 से 12/2007

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 10	अनिर्णीत

(ज)अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 के निरीक्षण प्रतिवेदन जोकि पृष्ठांकन संख्या फिन (एल.ए.)(2)(15)(14)198/99, दिनांक 06.04.2009 द्वारा जारी किया गया, में सम्मिलित पैरे :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 4 (क)(1)	अनिर्णीत
2	पैरा – 4 (क) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा – 4 (क) (3)	अनिर्णीत

(झ)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2008 से 12/2009

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 6 (i)	अनिर्णीत
2	पैरा – 6 (ii)	अनिर्णीत
3	पैरा – 7(i)	अनिर्णीत

4	पैरा – 7(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा – 7(iii)	अनिर्णीत
6	पैरा – 8(i)	अनिर्णीत
7	पैरा – 8(ii)	अनिर्णीत
8	पैरा – 9	अनिर्णीत

(ञ)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2010 से 12/2010

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 11	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2012 से 12/2012

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 10 (क से छ)	अनिर्णीत
2	पैरा – 11	अंशतः निर्णीत

(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2015 से 12/2016

1	पैरा – 10	अनिर्णीत
2	पैरा – 13	अनिर्णीत
3	पैरा – 14	अनिर्णीत
4	पैरा – 16	अनिर्णीत
5	पैरा – 17	अनिर्णीत
6	पैरा – 20	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2017 से 12/2018

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा – 5 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा – 5 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा – 5 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा – 12 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) (vii)(viii)	अनिर्णीत
7	पैरा – 13 (i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
9	पैरा – 15	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2019 से 12/2020

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा –10	अनिर्णीत
2	पैरा – 11	अनिर्णीत
3	पैरा – 12	अनिर्णीत
4	पैरा – 14 (क,ख,ग, घ,ङ0)	अनिर्णीत
6	पैरा – 15 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा – 15 (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा – 15 (घ)	अनिर्णीत

9	पैरा – 16	अनिर्णीत
12	पैरा – 19	अनिर्णीत

(ण)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2021 से 12/2021

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1.	पैरा –3	निर्णीत अंकेक्षण शुल्क जमा कर दिया है।
2.	पैरा – 4	निर्णीत
3.	पैरा – 5	निर्णीत
4.	पैरा – 6	अनिर्णित
5.	पैरा – 7(क,ख)	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्ररूपित)
6.	पैरा – 8(क,ख)	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्ररूपित)
7.	पैरा – 9	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्ररूपित)
8.	पैरा – 10	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्ररूपित)
9.	पैरा – 11	अनिर्णित
10.	पैरा – 12	अनिर्णित
11.	पैरा – 13(क)	निर्णीत (सहायक नियंत्रक, वित्त एवं लेखा के पत्र संख्या: CT-KGR/132 dt. 31.01.23 व कार्यवाही उपरान्त)
12.	पैरा – 13(ख)	निर्णीत (वा. सं 2 दिनांक 11.02.23 में कि गई 4284 की वसूली उपरान्त)
13.	पैरा – 14	अनिर्णित
14.	पैरा – 15(i,ii)	निर्णीत (वा. सं 2 दिनांक 11.02.23 में कि गई 16628 की वसूली उपरान्त)
15.	पैरा – 16	अनिर्णित

16.	पैरा – 17(1)	निर्णीत (200810 की वसूली माप पुस्तिका 56 पृष्ठ 66 मद संख्या 25 में कर ली गई है)
17.	पैरा-17(2)	निर्णीत(मन्दिर अधिकारी के पत्र संख्या: 1356-58 दिनांक 15-11-21 में स्वीकृति देख ली गई है)
18.	पैरा -17(3)	आंशिक निर्णीत
19.	पैरा -17(4)	निर्णीत (645060/- माप पुस्तिका 56 पृष्ठ 50 पर समायोजित कर ली गई है)
20.	पैरा-18	अनिर्णित
21.	पैरा – 18(1)	निर्णित (अतिरिक्त मदों को अनुमोदित करवा लिया गया है)
22.	पैरा – 18(2)	निर्णीत (स्वीकृति देख ली गई है)
23.	पैरा – 19	आंशिक निर्णीत
24.	पैरा – 21	अनिर्णित

अनिर्णीत पैरों का सार	
अवधि 12/2021 तक अनिर्णीत पैरों का अंतिम शेष	95
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान प्रारूपित किए	26
कुल जोड़	119
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णित किए गए पैरों की संख्या	14
दिनांक 31.12.2022 तक अनिर्णीत पैरों की कुल संख्या	107

परिशिष्ट - "2"   पैरा 4 के सन्दर्भ में

Financial position of Temple trust Shree Chamunda Nandikeshwer Temple, Distt. Kangra (H.P)

Year	Opening balance	own source	other in come	interest	Total	Depoit work	Expenditure	Closing balance
2022	2,60,47,320.82	5,17,97,820.81	8,32,932.42	17,18,827.00	8,23,96,901.05	30,00,000.00	5,75,52,504.30	2,18,44,396.75

Assistant Director (Audit)
H.P. State Audit Dept.
Shimla - 171009

मन्दिर अधिकारी
श्री चामुण्डा नंदिकेश्वर मन्दिर
चामुण्डा जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Financial position of Temple trust Shree Chamunda Nandikeshwer Temple, Distt. Kangra (H.P)

Months	Opening balance	own source	other in com	interest	Total	Depoit work	Expenditure	Closing balance
Jan-22	2,80,47,320.82	18,45,800.99	96,252.42		19,42,053.41		25,79,838.00	2,74,09,536.23
Feb-22	2,74,09,536.23	27,37,517.00	55,640.00		27,93,157.00		26,64,174.00	2,75,38,519.23
Mar-22	2,75,38,519.23	34,45,005.60	55,640.00	10,04,648.00	45,05,293.60		34,37,540.00	2,86,06,272.83
Apr-22	2,86,06,272.83	50,07,899.44	55,640.00	2,69,292.00	53,32,831.44		**96,44,915.00**	2,42,94,189.27
May-22	2,42,94,189.27	53,10,563.54	1,11,280.00	18,023.00	54,39,866.54		34,47,644.00	2,62,86,411.81
Jun-22	2,62,86,411.81	**68,74,378.29**			**68,74,378.29**		42,26,973.00	2,89,33,817.10
Jul-22	2,89,33,817.10	52,32,813.04	1,17,308.00	3,248.00	53,53,369.04		46,11,582.00	2,96,75,604.14
Aug-22	2,96,75,604.14	52,58,356.00	70,000.00	39,676.00	53,68,032.00	30,00,000.00	50,17,693.00	2,70,25,943.14
Sep-22	2,70,25,943.14	34,48,559.80	1,24,088.00	9,802.00	35,82,449.80		47,84,332.00	2,58,24,060.94
Oct-22	2,50,70,229.05	58,36,075.11			58,36,075.11		65,89,907.00	2,50,70,229.05
Nov-22	2,19,46,476.05	31,84,416.00	1,27,624.00	32,639.00	33,44,679.00		64,68,432.00	2,19,46,476.05
Dec-22	2,18,44,396.75	36,16,436.00	19,460.00	3,41,499.00	39,77,395.00		40,79,474.30	2,18,44,396.75
Total		**5,17,97,820.81**	**8,32,932.42**	**17,18,827.00**	**5,43,49,580.23**	**30,00,000.00**	**5,75,52,504.30**	

Assistant Director (Audit)
H.P. State Audit Dept.
Shimla - 171009

(हि०प्र०)

Temple trust Shree Chamunda Nandikeshwer Temple, Distt. Kangra (H.P)

closing balance of in bank A/C as on 31.12.2022

sr. no	Bank Account number	Amount
1	2353808591 Central Bank of india, Chamunda	4,09,561.79
2	2353807064 Central Bank of india, Chamunda	34,833.90
3	20105004951 K C C Bank, Chamunda	18,84,791.80
4	9832000100000014 P N B,Dadh	12,40,602.69
5	10551097090 S B I, Dharmshala	6,24,431.32
6	6051450000049 HDFC Bank, Dharmshala	29,521.25
7	FDRs as on 31.12.2022	1,76,36,498.00
	Total	**2,18,60,240.75**

closing balance of in cash book A/C as on 31.12.2022

sr. no	Bank Account number	Amount
1	2353808591 Central Bank of india, Chamunda	4,09,561.79
2	2353807064 Central Bank of india, Chamunda	18,989.90
3	20105004951 K C C Bank, Chamunda	18,84,791.80
4	9832000100000014 P N B,Dadh	12,40,602.69
5	10551097090 S B I, Dharmshala	6,24,431.32
6	6051450000049 HDFC Bank, Dharmshala	29,521.25
7	FDRs as on 31.12.2022	1,76,36,498.00
	Total	**2,18,44,396.75**

	Reconsilation Statement	
	Balance as per Bank statement sr. no 2	34,833.90
	Balance as per Cash book sr. no 2	18,989.90
	ADD:- HHg pay NEFT 1-12-22 issued but not	15,894.00
	debited by bank till 31-12-22 but debited on	
	10.01.23. **Total**	34,883.90

Assistant Director (Audit)
H.P. State Audit Dept.
Shimla - 171009

परिशिष्ट "3" पैरा सं 5 के सन्दर्भ में

श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास की सावधि जमा राशियों का विवरण

क्रं0सं0	निवेश तिथि	निवेश राशि	परिपक्वता तिथि	ब्याज दर	अवधि	परिपक्वता राशि	बैंक का नाम	नॅम्बर
1	31.03.2022	1,29,58,268.00	31.3.23	5.20%	12माह	1,36,31,887.00	k c c chamunda	50071435947
2	14.11.22	3,47,080.00	14.11.23	5.50%	12माह	3,66,567.00	k c c chamunda	50075182934
3	04.07.2022	19,67,291.00	04.07.23	5.30%	12माह	20,73,648.00	PNB DADH	983200010000249
4	19.4.22	14,63,484.00	19.4.23	5.00%	12 माह	15,38,042.00	c b I chamunda	3808974395
5	14.11.22	9,00,375.00	12.11.23	5.50%	12माह	9,50,926.00	k.c.c b chamunda	50075183664
	(क) योग	**1,76,36,498.00**						

Assistant Director (Audit)
H.P. State Audit Dept.
Shimla - 171009

मन्दिर अधिकारी
श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर
चामुण्डा जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट = "4" पैरा से 6 के सन्दर्भ में

बर्ष 2022 के सोने का विवरण

सोनाः—माह	किलो	ग्रा0	मि0ग्रा0
जनवरी		10	560
फरवरी		42	580
मार्च		59	380
अप्रैल		27	110
मई		82	060
जून		106	000
जुलाई		18	810
अगस्त		48	850
सितम्बर		18	000
अक्तूबर		51	820
नवम्बर		21	530
दिसम्बर		16	140
योगः—		**502**	**840**
नन्दिकेश्वर मन्दिर मे प्राप्त		00	000
हिमानी चामुण्डा मन्दिर से प्राप्त		00	000
योग		**502**	**840**

दिनांक 1.1.2022 को प्रारम्भिक शेष	**18**	**796**	**658**
2022 में जमा	0	502	840
31.12.22 को कुल मात्रा	**19**	**299**	**498**

स्टाक रजिस्टर अनुसार अन्तशेष का विवरणः—

दिनांक 31.12.22 तक को सेफ में जमा	1	078	150
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, चामुण्डा के बैंक लॉकर में जमा	10	625	778
पुजारियो के पास श्रृंगार हेतू जारी	2	471	890
भारतीय स्टेट बैंक,चण्डीगढ़ में **(स्वर्ण बांड योजना)** में प्रमाण पत्र संख्या 12002 S 00453 के अर्न्तगत जमा	4	973	270
नन्दिकेश्वर मन्दिर मे जमा	0	032	350
हिमानी चामुण्डा मन्दिर में जमा	0	118	060
31.12.21 को कुल मात्रा	**19**	**299**	**498**

Assistant Director (Audit),
H.P. State Audit Dept.
Shimla - 171009

परिशिष्ट = "5" पैरा सं 7 के सन्दर्भ में

चांदी :–2022

माह	किलो	ग्रा0	मि0ग्रा0
जनवरी	0	484	500
फरवरी	1	259	000
मार्च	2	199	000
अप्रैल	1	762	000
मई	1	598	000
जून	1	817	000
जुलाई	2	904	000
अगस्त	1	374	500
सितम्बर	1	836	000
अक्तूबर	1	624	000
नवम्बर	1	714	000
दिसम्बर	1	161	000
योगः–	**19**	**733**	**000**
श्री नन्दिकेश्वर मन्दिर में प्राप्त	....	....	....
हिमानी चामुण्डा मन्दिर से प्राप्त	0	213	500
कुल योग	**19**	**946**	**500**

	किलो	ग्रा0	मि0ग्रा0
दिनांक 1.1.2022 को प्रारम्भिक शेष	**846**	**485**	**664**
2022 में जमा	019	946	500
31.12.22 को कुल मात्रा	**866**	**432**	**164**

स्टाक रजिस्टर अनुसार अन्तशेष का विवरणः–

स्टाक रजिस्टर अनुसार	**704**	**404**	**322**
नदिकेश्वर मन्दिर में जमा	017	158	000
हिमानी चामुण्डा मन्दिर से प्राप्त	002	368	000
योगः–	**723**	**930**	**322**

अन्तर का कारणः–

दिनांक 31.12.22 को स्टाक रजिस्टर अनुसार	723	930	322
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन बर्ष 2005 के पैरा संख्या क व ख में दिए विवरणानुसार कम दर्शाई गई मात्रा	142	501	842
कुल मात्रा	**866**	**432**	**164**

Assistant Director (Audit)
H.P. State Audit Dept.
Shimla - 171009

परिशिष्ट = "6" पैरा सं 8 के सन्दर्भ में

श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा की आय एवम् व्यय का विवरण			
बर्ष	कुल आय	ब्याज रहित आय	स्थापना व्यय
2020	1,75,88,204.04	1,32,01,336.00	2,64,71,754.00
2021	3,13,16,024.39	2,93,87,179.39	2,58,38,300.00
2022	5,43,49,580.23	5,26,30,753.23	3,27,25,801.00
कुल योग–	10,32,53,808.66	9,52,19,268.62	8,50,35,855.00

Assistant Director (Audit)
H.P. State Audit Dept.
Shimla - 171009

मन्दिर अधिकारी
श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर,
चामुण्डा जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट = "7" पैरा छ-1 के सन्दर्भ में

श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर के शापिंग कम्पलैक्स में निर्मित दुकानों के किराय का विवरण :–

क्रमांक	नाम दुकानदार	दुकान न0	निर्धारित मासिक किराया	01.01.2021 को बकाया राशि	31.12.2022 तक	योग	01.01.2022 से31.12.22 तक वसूली	दिनांक 31.12 2022 को बकाया
1	श्री अमित कुमार सुपत्र देव राज	1	680.00	59,460.00	8,160.00	67,620.00		67,620.00
2	श्री रमेश चन्द सुपत्र धन्नू राम	2	680.00	38,960.00	8,160.00	47,120.00	5,000.00	42,120.00
3	श्री सुरेश कुमार सपुत्र जगन्नाथ	3	680.00	59,460.00	8,160.00	67,620.00		67,620.00
4	श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री धन्नू राम	4	680.00	48,460.00	8,160.00	56,620.00		56,620.00
5	श्री सतीश कुमार सुपत्र रतन लाल	5	680.00	59,460.00	8,160.00	67,620.00		67,620.00
6	श्री हंस राज सपुत्र मस्त राम	6	680.00	59,460.00	8,160.00	67,620.00		67,620.00
7	श्रीमती शारदा देवी विधवा मस्त राम	7	680.00	59,460.00	8,160.00	67,620.00		67,620.00
8	श्री संजू धीमान सुपत्र प्रकाश चन्द	8	680.00	59,460.00	8,160.00	67,620.00		67,620.00
9	श्री पप्पू कुमार सुपत्र राजेन्द्र कुमार	9	680.00	3,210.00	8,160.00	11,370.00	59,710.00	-48,340.00
10	श्री देश राज सपुत्र मस्त राम	10	1,580.00	91,860.00	18,960.00	1,10,820.00		1,10,820.00
11	श्री महेश कुमार सुपत्र जगन्नाथ	11	1,580.00	1,38,250.00	18,960.00	1,57,210.00		1,57,210.00
12	श्री अशोक कुमार सपुत्र जगन्नाथ	12	1,580.00	1,38,250.00	18,960.00	1,57,210.00		1,57,210.00
13	श्री अनूप कुमार सपुत्र जगन्नाथ	13	1,580.00	1,38,250.00	18,960.00	1,57,210.00		1,57,210.00
14	श्रीमती संजोगता देवी विधवा वनबारी लाल	14	1,580.00	1,38,250.00	18,960.00	1,57,210.00		1,57,210.00
15	श्रीमती अरूणा देवी सुपुत्री मदन लाल	15	1,580.00	35,550.00	18,960.00	54,510.00	15,800.00	38,710.00
16	श्री पुनीत कुमार सुपुत्र श्री बाल गंगाधर	16	1,580.00	1,38,250.00	18,960.00	1,57,210.00		1,57,210.00
17	श्री राज कुमार सपुत्र प्रशोतम दास	17	1,580.00	16,590.00	18,960.00	35,550.00		35,550.00
18	श्री राजेश कुमार सपुत्र रत्न लाल	18	1,140.00	99,750.00	13,680.00	1,13,430.00		1,13,430.00
19	श्री बिरेन्द्र कटोच	19	1,140.00	18,500.00	13,680.00	32,180.00		32,180.00
20	श्री लेख राज सपुत्र जगन्नाथ	20	820.00	71,750.00	9,840.00	81,590.00		81,590.00
21	श्रीमती शारदा देवी सुपुत्री मदन लाल	21	1,300.00	29,250.00	15,600.00	44,850.00	11,700.00	33,150.00
22	श्री रजनी कान्त सुपुत्र रत्न लाल	22	1,250.00	1,09,375.00	15,000.00	1,24,375.00		1,24,375.00
23	श्री राकेश कुमार सपुत्र बाल कृष्ण	23	1,320.00	11,575.00	15,840.00	27,415.00		27,415.00

Assistant Director (Audit)
H.P. State Audit Dept.
Shimla - 171009

24	श्री राम चन्द सपुत्र गिरधारी	24	1,000.00	87,500.00	12,000.00	99,500.00		99,500.00
25	श्री पूरन चन्द सपुत्र मदन लाल	25	1,000.00	22,500.00	12,000.00	34,500.00	10,000.00	24,500.00
26	श्री सुभाष चन्द सपुत्र थुड्डु राम	26	1,000.00	31,250.00	12,000.00	43,250.00		43,250.00
27	श्री राजेश कटोच सपुत्र बलबंत सिंह	27	1,000.00	31,250.00	12,000.00	43,250.00		43,250.00
28	श्री कमल नैन सपुत्र गिरधारी	28	1,000.00	87,500.00	12,000.00	99,500.00		99,500.00
29	श्रीमती रमा कुमारी सुपुत्री बाल गंगाधर	29	1,000.00	87,500.00	12,000.00	99,500.00		99,500.00
30	श्रीमती पुष्पा,श्री पवन व पंकज वारिस भीम सेन	30	770.00	40,460.00	9,240.00	49,700.00	23,870.00	25,830.00
31	श्री राजेन्द्र सुपुत्र गोवर्धन लाल	31	770.00	67,375.00	9,240.00	76,615.00		76,615.00
32	श्रीमती सुभद्रा देवी सपुत्री मदन लाल	32	770.00	18,095.00	9,240.00	27,335.00	6,160.00	21,175.00
33	श्री रवि भूषण सपुत्र गिरधारी	33	770.00	67,375.00	9,240.00	76,615.00		76,615.00
34	श्री सुभाष मैहता सुपत्र गिरधारी	34	770.00	67,375.00	9,240.00	76,615.00		76,615.00
35	श्रीमती पुन्या श्री मदन व संजीब वारिस ओम प्रकाश	35	770.00	25,460.00	9,240.00	34,700.00	17,710.00	16,990.00
36	स्व0 मेहर चन्द	36	980.00	26,915.00	11,760.00	38,675.00	22,540.00	16,135.00
37	श्री राजेश कुमार सपुत्र जगन्नाथ	37	980.00	68,110.00	11,760.00	79,870.00		79,870.00
38	श्रीमती कामना सपुत्री मदन लाल	38	980.00	24,070.00	11,760.00	35,830.00	9,800.00	26,030.00
39	श्री कुलदीप गुलेरिया	39	980.00	10,290.00	11,760.00	22,050.00		22,050.00
40	श्री सन्तोष कुमार सपुत्र चुनी लाल	41	980.00	41,935.00	11,760.00	53,695.00	20,000.00	33,695.00
	योग			24,27,800.00	4,86,846.00	29,14,646.00	2,02,290.00	27,12,356.00

Assistant Director (Audit)
H.P. State Audit Dept.
Shimla - 171009

मन्दिर अधिकारी
श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर
चामुण्डा जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट- 8 (पैरा संख्या 15 के सन्दर्भ में)

वा. सं	दिनांक	कुल भुगतान वस्तु एवं सेवा कर सहित	वस्तु एवं सेवाकर	जीएसटी रहित भुगतान
91	31.10.18	354000	54000	300000
39	08.10.18	88500	13500	75000
23	03.11.18	88500	13500	75000
33	08.12.18	88500	13500	75000
44	18.01.19	88500	13500	75000
64	18.02.19	88500	13500	75000
44	14.03.19	88500	13500	75000
45	15.04.19	88500	13500	75000
91	25.05.19	88500	13500	75000
49	13.06.19	88500	13500	75000
39	08.07.19	88500	13500	75000
77	20.07.19	88500	13500	75000
13	03.09.19	88500	13500	75000
85	27.09.19	88500	13500	75000
66	18.11.19	88500	13500	75000
82	21.11.19	88500	13500	75000
87	21.12.19	88500	13500	75000

81	18.01.20	88500	13500	75000
88	29.02.20	88500	13500	75000
81	31.03.20	88500	13500	75000
80	29.04.20	88500	13500	75000
41	15.05.20	88500	13500	75000
75	29.06.20	88500	13500	75000
60	27.07.20	88500	13500	75000
52	28.08.20	88500	13500	75000
48	28.09.20	88500	13500	75000
78	22.10.20	88500	13500	75000
62	12.11.20	88500	13500	75000
71	30.12.20	88500	13500	75000
55	23.02.21	88500	13500	75000
56	23.02.21	88500	13500	75000
46	12.04.21	88500	13500	75000
37	10.05.21	88500	13500	75000
39	23.06.21	177000	27000	150000
55	23.07.21	88500	13500	75000
40	07.09.21	88500	13500	75000
94,95	28.10.21	177000	27000	150000
34	10.12.21	88500	13500	75000
48	13.01.22	88500	13500	75000

54	17.02.22	88500	13500	75000
48	15.03.22	88500	13500	75000
69	20.04.22	177000	27000	150000
82	21.06.22	177000	27000	150000
94	30.07.22	88500	13500	75000
85	25.08.22	88500	13500	75000
77	19.09.22	88500	13500	75000
62	10.11.22	88500	13500	75000
14	03.12.22	88500	13500	75000
58	20.12.22	88500	13500	75000
	Total	**4956000**	**756000**	**4200000**

Assistant Director (Audit)
H.P. State Audit Dept.
Shimla - 171009

~~49~~ 48